



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 900 / SEIAA/2022

Date: 28/6/22

प्रति,

श्री अंकुश शिवहरे,

आत्मज श्री ओमप्रकाश शिवहरे,

निवासी मकान न. 02, तानसेन नगर,

जिला ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय:- प्रकरण क्रमांक 9096/2022** - परियोजना प्रस्तावक श्री अंकुश शिवहरे आत्मज श्री ओमप्रकाश शिवहरे, निवासी मकान न. 02, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8085 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 38/4, 38/8, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम धवाई, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 721 वी बैठक दिनांक 06.05.2022 के निर्णय उपरांत प्राधिकरण 733 वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जिला खनिज अधिकारी के एकल प्रमाण पत्र क्र. 109 दिनांक 18.01.2022 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अंतरण पूर्व धारा-165 (MPLRC) के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, इस कारण उत्खनिपट्टा दिये जाने पर सहरिया आदिवासी भूमिहीन हो जायेंगे एवं प्रकरण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त भूमि पर खनन से सहरिया आदिवासियों के श्रम के अतिरिक्त आर्थिक हित के लिये क्या प्रावधान है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से प्रस्तावित खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जिला कलेक्टर के स्पष्ट अभिमत प्राप्त ना होने के कारण प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है।

  
% (विकास मिश्रा)  
सदस्य सचिव


पृ.क्र. 901 /SEIAA/2022

दिनांक -

28/6/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - शिवपुरी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - शिवपुरी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल- 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - शिवपुरी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

  
% (आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी